न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. भीमाशंकर पुत्र पूनमा 2. मृतक बाबूलाल पुत्र पूनमा के कायम मुकाम वारीसान प्रकाश पुत्र बाबूलालजी जातियान श्रीमाली निवासी सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर		1. खेमा पुत्र धना 2. गणेशा पुत्र धना 3. गुनी पत्नि परबा 4. गोदी पुत्री धना 5. चौपा पुत्र धना 6. भूपा पुत्र धना 7. लासी पुत्री धना 8. गणेशाराम पुत्र राणाराम 9. चम्पा पुत्री जेमताराम 10. जेऊदेवी पत्नि जेमताराम 11. जेठाराम पुत्र जेमताराम 12. परखाराम पुत्र जेमताराम 13. रणछोड़ा पुत्र जानू 14. रणछोड़ाराम पुत्र राणाराम 15. राधा पुत्री जेमताराम 16. समदा पुत्री जेमताराम 17. सवा पुत्र जानू जातियान कलबी निवासीयान सूरजवाड़ा 18. किसनाराम पुत्र त्रिकमाराम 19. भगवानाराम पुत्र त्रिकमाराम जातियान कलबी निवासीयान केर 20. कन्हैयालाल पुत्र रामा 21. किरण पुत्र ईश्वरलाल 22. महेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम 23. राजेश पुत्र शिवराम 24. राधादेवी पत्नि ईश्वरलाल 25. विष्णुप्रसाद पुत्र रामा 26. शैलेश पुत्र ईश्वरलाल 27. सरस्वती पुत्री शिवराम जाति श्रीमाली निवासीयान सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर 28. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवड़ा।
2. अप्रार्थी संख्या 19 के अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक – 25.01.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि [illegible] सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थीगण की खातेदारी [illegible] नंबर 82 रकबा 2.[illegible] हैक्टेयर आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी राजस्व रिकर्ड में बाबूलाल पुत्र पूनमा हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:38:33 IST
Reason: SelfAttested

1/2 जाति श्रीमाली सा. देह खातेदार व भीमाशंकर पुत्र पूनमा हिस्सा 1/2 जाति श्रीमाली सा. देह खातेदार दर्ज हैं। खातेदार बाबूलाल की मृत्यु हो चुकी हैं। जिनके कायम मुकाम वारीसान प्रकाश पुत्र बाबूलाल हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 2.93 हैक्टेयर के पड़ौस में पूर्व दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी आराजी मौजा सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 84 रकबा 5.81 हैक्टेयर ,दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 8 से 17 की खातेदारी आराजी मौजा सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 83 रकबा 3.82 हैक्टेयर ,पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 20 से 27 की खातेदारी आराजी मौजा सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 82/613 रकबा 0.10 हैक्टेयर आई हुई।

2. प्रार्थीगण की उक्त आराजी मौजा सूरजवाड़ा के खसरा नंबर 82 व पड़ौस में पूर्व दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी आराजी मौजा सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 84 रकबा 5.81 हैक्टेयर ,दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 8 से 17 की खातेदारी आराजी मौजा सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 83 रकबा 3.82 हैक्टेयर ,उतर दिशा में अप्रार्थी संख्या 18 व 19 की खातेदारी आराजी मौजा केर तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 209 रकबा 3.82 हैक्टेयर तथा पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 20 से 27 की खातेदारी आराजी मौजा सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 82/613 रकबा 0.10 हैक्टेयर के बीच की सीमा अस्पष्ट होने पर प्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी आराजी मौजा सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के नवीन खसरा नंबर 82 रकबा 2.93 हैक्टेयर आराजी की पैमाईश कर सीमांकन करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार रानीवाड़ा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर श्रीमान तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा हल्का पटवारी पटवार हल्का सूरजवाड़ा के नाम प्रार्थीगण की आराजी की पैमाईश करने हेतु आदेश क्रमांक/सीमांकन/2023/135 दिनांक 19.01.2023 को जारी किया था, जिसकी पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03.02.2023 को प्रार्थीगण की आराजी मौजा सूरजवाड़ा के खसरा नंबर 82 रकबा 2.93 हैक्टेयर का सीमांकन हेतु मौके पर पहुंचे। मौके पर खातेदार, पड़ौसी खातेदार एवं अन्य मौतबीरानों की उपस्थिति में विभिन्न मुस्तकिल बिन्दूओं से जरीब चलाई गई। खातेदार को माठ के निशानात बताए गए लेकिन मौके पर राजस्व ग्राम केर की सीमा होने से मौके पर सीमा विवाद हैं तथा मौके पर पड़ौसी खातेदार असहमत हैं तथा मौके पर सीमा का विवाद कायम रहा। आये दिन अप्रार्थी संख्या 1 से 27 सीमा को लेकर प्रार्थीगण के साथ विवाद उत्पन्न करता रहते हैं, जिससे प्रार्थीगण उक्त आराजी में शांति से काश्त भी नहीं कर पा रहा हैं। ऐसी स्थिति में मौजा सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 82 व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी आराजी मौजा सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 84 तथा अप्रार्थी संख्या 8 से 17 की खातेदारी आराजी मौजा सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 83 तथा अप्रार्थी संख्या 18 व 19 की खातेदारी आराजी मौजा केर तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 209 तथा अप्रार्थी संख्या 20 से 27 की खातेदारी आराजी मौजा सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 82/613 के बीच की सीमा का सीमांकन कर उक्त आराजी की सीमा पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम करवाये जाने के आदेश दिया जाना न्याय हित में आवश्यक हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि मौजा सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नवीन खसरा नंबर 82 रकबा 2.93हे. व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी आराजी मौजा सूरजवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:38:33 IST
Reason: SelfAttested

तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 84 रकबा 5.81हे. तथा अप्रार्थी संख्या 8 से 17 की खातेदारी आराजी मौजा सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 83 रकबा 3.82हे. व अप्रार्थी संख्या 18 व 19की खातेदारी आराजी मौजा केर तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 209 रकबा 3.82हे. तथा अप्रार्थी संख्या 20 से 27 की खातेदारी आराजी मौजा सूरजवाड़ा तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 82/613 रकबा 0.10हे. आराजी की पैमाईश हेतु राजस्व कर्मचारियों की कमेटी का गठन कर उक्त आराजी की पैमाईश कर सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करवाये जाने हेतु आदेश फरमावे।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 18 व 20 से 27 की ओर से बाद तामिल कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 19 व 28 की ओर से जवाब नहीं देने पर इनका जवाब बंद किया गया।

4. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 19 के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 03.02.2023 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाने पर मौजा सूरजवाडा के खसरा नम्बर 82 रकबा 2.93 हैक्टेयर आराजी के माठों पर विवाद होने से सीमाकंन नहीं किया गया। राजपेरोकार ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा सूरजवाडा के खसरा नम्बर 82, 84, 83 व 82/613 की आराजी के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा सूरजवाडा के खसरा नम्बर 82, 84, 83 व 82/613 रकबा क्रमश 2.93, 5.81, 3.82, 0.10 हैक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियॉ नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:38:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 25.01.2024 को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर